



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102026-276904  
CG-DL-E-07102026-276904

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5269]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 7, 2026/आश्विन 15, 1948

No. 5269]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 7, 2026/ASVINA 15, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2026

सं. 81/2026 – सीमाशुल्क (गै.टै.)

का.आ. 5481(अ).— सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 62/1994-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 21 नवंबर, 1994, जिसे का. आ. 829 (अ), दिनांक 21 नवंबर, 1994 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, महाराष्ट्र राज्य से सम्बंधित क्रम संख्या 8 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (1) और कॉलम (4) में उससे संबंधित विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

| (1) | (2) | (3)              | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     | “(1) दाभोल पत्तन | <p>(क) रत्नागिरि गैस और पावर प्राइवेट लिमिटेड विद्युत परियोजना के लिए मशीनरी और उपकरणों की उतराई।</p> <p>(ख) द्रवीभूत प्राकृतिक गैस और नेथा की उतराई।</p> <p>(ग) निर्यात के लिए आयातित मशीनरी और उपकरणों की, जिन्हें रत्नागिरि गैस और पावर प्राइवेट लिमिटेड विद्युत परियोजना के लिए आयात किया गया है, लदाई।</p> <p>(घ) मैसर्स स्क्वायर पोर्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पोतों, नौकाओं और उसी प्रकार के जलयानों और रिगों के विनिर्माण और मरम्मत के लिए माल की उतराई।</p> <p>(ङ.) पोतों, नौकाओं और उसी प्रकार के जलयानों और रिगों का मैसर्स स्क्वायर पोर्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मरम्मत के लिए आयात।</p> <p>(च) मैसर्स स्क्वायर पोर्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पोतों, नौकाओं और उसी प्रकार के जलयानों और रिगों का निर्यात।”</p> |

[फा. सं. सीबीआईसी-52/34/2026]

इंद्रजीत पांडा, अवर सचिव

**टिप्पणी :-** प्रधान अधिसूचना संख्या 62/94-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 21 नवंबर, 1994 को का. आ. 829(अ), 21 नवंबर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था तथा इसमें अंतिम बार भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 76/2026-सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 23 सितंबर, 2026 का. आ. 5235 (अ), दिनांक 23 सितंबर, 2026 द्वारा संशोधन किया गया था।

**MINISTRY OF FINANCE****(Department Of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th October, 2026

**No. 81/2026 – Customs (N.T.)**

**S.O. 5481(E).**— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of the section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following further amendments in the Notification No. 62/1994-Customs (N.T.) dated the 21st November, 1994 of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 829 (E), dated the 21st November, 1994, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 8 relating to the State of Maharashtra, in place of item (1) in column (3) and the existing entries relating thereto in column (4), the following entries shall be substituted, namely :-

| (1) | (2) | (3)              | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     | “(1) Dabhol Port | (a) Unloading of machinery and equipment for Ratnagiri Gas and Power Private Limited Power Project.<br>(b) Unloading of liquefied natural gas and naptha.<br>(c) Loading of Imported machinery and equipment for export, imported for Ratnagiri Gas and Power Private Limited Power Project.<br>(d) Unloading of goods for the manufacture and repairs of ships, barges and similar vessels and rigs by M/s. Square Port Shipyard Private Limited.<br>(e) Import of ships, barges and similar vessels and rigs by M/s. Square Port Shipyard Private Limited for repair.<br>(f) Export by M/s. Square Port Shipyard Private Limited of Ships, barges and similar vessels and rigs.” |

[F. No. CBIC-52/34/2026]

INDRAJIT PANDA, Under Secy.

**Note :-** The principal notification No.62/94-Customs (N.T.), dated the 21<sup>st</sup> November, 1994 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 829 (E), dated the 21<sup>st</sup> November, 1994 and was last amended by notification number 76/2026-Customs (N.T.) dated the 23<sup>rd</sup> September, 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 5235 (E), dated the 23<sup>rd</sup> September, 2026.